

सुप्रीम कोर्ट ‘‘ आधार कार्डधारियों’’ को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे युसर्पैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार

- ‘‘आधार कार्ड’’ का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।
- कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।

कार्ड ‘‘नागरिकता का पूर्ण प्रमाण’’ नहीं है। बैंच ने कहा, ‘‘इसलिए हमने कहा था

हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।’’ आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।’’ कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ‘‘पोस्ट ऑफिस’’ नहीं है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

- असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है। बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा। इस ‘‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी’’ बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, ‘‘विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम’’ बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रॉड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी

- आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में ‘‘केसर बादाम’’ बताकर भ्रामक प्रचार किया।

लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवार पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। परिवार में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्टाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवार में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेलवे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेलवे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, ‘‘508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।’’

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत

- जापान इस प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च उठा रहा है। सवाल यह है कि रेल्वे की सस्ते विकल्प ढूंढने की रणनीति जापान को कहीं नाराज़ ना कर दे।
- रेल्वे अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच 256 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर हाई स्पीड ट्रेन की विश्वसनीयता, रख रखाव, टिकाऊपन और उपलब्धता का परीक्षण करेगा। रेल मंत्री ने 2029 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई।

के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और रोलिंग स्टॉक पर मतभेदों के कारण समय और लागत में वृद्धि हो रही है। जापान, जो इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण कर रहा है, लीको कोऑक्सिकल सिस्टम (एलसीएक्स) सिस्टम की तैनाती और शिकान्सेन रैक की पसंद पर जोर दे रहा है। भारत यूरोपीय निर्माताओं से

रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता को आधी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, जो जापान द्वारा 49 दस-कोच हाई-स्पीड ट्रेन सैट्स के लिए उद्धृत की गई कीमत से लगभग आधी है। अधिकारियों ने बताया, जापान ने इस आपूर्ति को ई-10 शिकान्सेन रैक के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि पश्चिमी देशों से यह स्टॉक लगभग 10,000 करोड़ रुपये

की लागत पर खरीदा जा सकता है। लागत को कम करने और जापान पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्टैंडर्ड गैज ट्रेनसेट्स के स्वदेशी निर्माण की योजना को तेज कर दिया है, जो वर्तमान में सरकारी-स्वामित्व वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले सप्ताह सूरत एचएसआर स्टेशन की समीक्षा यात्रा के बाद, बीईएमएल को इन ट्रेनसेट्स को 2027 की शुरुआत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है दो प्रोटोटाइप रैक सूरत-वापी खंड में विश्वसनीयता उपलब्धता रखरखाव व स्थिरता परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने लीको केबल सिस्टम के बजाय ‘ओपन सोर्स’ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी बिलाल वानी एनआईए रिमांड पर

श्रीनगर, 27 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को सात दिन की रिमांड पर ले लिया। दिल्ली की

- एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।

एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिश की, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)